कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम निमाड मण्डलेश्वर (म.प्र.)

परिपत्र

क्रमांक/355/लेखा/2026 मण्डलेश्वर, दिनांक 06/07/2026

प्रायः यह देखने में आया है कि जिला मुख्यालय पर पदस्थ तृतीय श्रेणी/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण द्वारा अपने आकस्मिक अवकाश आवेदन पत्र 03 दिवस पूर्व एवं ऐच्छिक अवकाश 07 दिवस पूर्व प्रस्तुत नहीं किये जा रहे हैं और ना ही अवकाश का स्पष्ट कारण आवेदन में उल्लेखित किया जा रहा है तथा आवेदन पत्र को अवकाश का लाभ लेते हुए प्रस्तुत किया जा रहा है जबकि अवकाश स्वीकृत होने के उपरांत ही अवकाश का लाभ लिया जाना चाहिये।

अवकाश नियम 6–1 के अंतर्गत शासकीय सेवक की सुविधा के लिये अवकाश का प्रावधान है तथा अवकाश को अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकता है। म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 7 के अनुसार "कोई भी शासकीय सेवक, अवकाश (आकस्मिक या अन्य प्रकार के) पर बिना पूर्व स्वीकृति के प्रस्थान नहीं करेगा।' तथा अवकाश नियम 6–2 के अनुसार किसी प्रकार के अवकाश को अवकाश स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी अस्वीकार या रद्द कर सकता है

अतः समस्त कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि शासकीय सेवक अवकाश (आकस्मिक या अन्य प्रकार के) पर बिना पूर्व स्वीकृति के प्रस्थान नहीं करेंगे, साथ ही अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर आकस्मिक अवकाश आवेदन नियमानुसार 03 दिवस पूर्व एवं ऐच्छिक अवकाश आवेदन 07 दिवस पूर्व प्रेषित करें तथा अवकाश की स्वीकृति के उपरांत ही अवकाश का लाभ लिया जाये।

उपरोक्त निर्देश का कड़ाई से पालन करें। उक्त निर्देश का पालन न किये जाने की दशा में अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा एवं अवैतनिक मान्य करते हुए वेतन की कटौती एवं अन्य विभागीय कार्यवाही की जाऐगी।

कृते–प्रधान ~~जिला~~ एवं सत्र न्यायाधीश
पश्चिम निमाड मण्डलेश्वर

पृष्ठां.क./1698/लेखा/2026 मण्डलेश्वर, दिनांक 06/07/2026

प्रतिलिपि :–

01. समस्त न्यायाधीशगण, जिला न्यायालय मंडलेश्वर, कसरावद, खरगोन, बड़वाह, सनावद, महेश्वर, भीकनगांव की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
01. प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, मण्डलेश्वर की ओर उक्त परिपत्र समस्त तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण के मध्य परिचालनार्थ प्रेषित।

कृते–प्रधान ~~जिला~~ एवं सत्र न्यायाधीश
पश्चिम निमाड मण्डलेश्वर